

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100378

दिनांक: 05/12/2025

लोक सूचना

श्रीमति SULTANA BEGUM पत्नी श्री SHEIKH ABDUL RASHEED जाति MUSLIM निवासी KAGZI MOHALLA, SANGANER, JAIPUR

श्री SHEIKH ABDUL KHALID पुत्र श्री SHEIKH ABDUL HAMEED जाति MUSLIM निवासी KAGZI MOHALLA, SANGANER, JAIPUR

श्री SHEIKH ABDUL SAYEED पुत्र श्री SHEIKH ABDUL HAMEED जाति MUSLIM निवासी KAGZI MOHALLA, SANGANER, JAIPUR

श्री SHEIKH ABDUL SAJID पुत्र श्री SHEIKH ABDUL HAMID जाति MUSLIM निवासी KAGZI MOHALLA, SANGANER, JAIPUR

श्री SHEIKH ABDUL MOYEED पुत्र श्री SHEIKH ABDUL HAMEED जाति MUSLIM निवासी KAGZI MOHALLA, SANGANER, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रामसिंहपुरा वास सांगानेर, सांगानेर (जयपुर)	3.) शेख अब्दुल सईद पुत्र शेख अब्दुल हमीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी सांगानेर जिला जयपुर खातेदार 1.) शेख अब्दुल खालीद पुत्र शेख अब्दुल हमीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी सांगानेर जिला जयपुर खातेदार 2.) शेख अब्दुल मोईद पुत्र शेख अब्दुल हमीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी	381/81	0.0025	0.0025

		सांगानेर जिला जयपुर खातेदार 4.) शेख अब्दुल साजिद पुत्र शेख अब्दुल हमीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी सांगानेर जिला जयपुर खातेदार 5.) सुल्ताना बेगम पत्नि शेख अब्दुल रशीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी सांगानेर जिला जयपुर खातेदार			
2.	रामसिंहपुरा वास सांगानेर, सांगानेर (जयपुर)	3.) शेख अब्दुल सईद पुत्र शेख अब्दुल हमीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी सांगानेर जिला जयपुर खातेदार 1.) शेख अब्दुल खालीद पुत्र शेख अब्दुल हमीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी सांगानेर जिला जयपुर खातेदार 2.) शेख अब्दुल मोईद पुत्र शेख अब्दुल हमीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी सांगानेर जिला जयपुर खातेदार 4.) शेख अब्दुल साजिद पुत्र शेख अब्दुल हमीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी	383/82	0.1866	0.1866

		सांगानेर जिला जयपुर खातेदार 5.) सुल्ताना बेगम पत्नि शेख अब्दुल रशीद हिस्सा 1 / 5 जाति मुसलमान निवासी मकान न 13 / 57 कागजी कॉलोनी सांगानेर जिला जयपुर खातेदार			
कुल					0.1891

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Jaipur Development Authority (JDA)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **05-12-2025** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & SAMACHAR JAGAT

प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

